छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771. 2437309, Fax No .0771. 2429385

क्रमांक /3018/दिव्यांग परी.सु. /विद्यो./2022 रायपुर, दिनांक 11.02.2022

प्रति,

समस्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष
छ.ग.मा.शि.मण्डल–छत्तीसगढ़

विषयः– दिव्यांग छात्र/छात्राओं (**CWSN**)को हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में दी जाने वाली सुविधा के संबंध में जानकारी ।

संदर्भ– दिनांक 12.01.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक ।

विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर छ.ग.द्वारा आयोजित **हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा** में दिव्यांग छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किया जाना है –:

- दृष्टि बाधित, मूक बधिर, स्पाटिक सेरेब्रेल पॉलिसी (मानसिक रूप से निःशक्त) नियमित विद्यार्थियों से कक्षा 10वीं व 12वीं में आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क पर रियायत का प्रावधान है ।
- 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप लेखक / वाचक / प्रयोगशाला सहायक एवं ऐसे परीक्षार्थी जो हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो उन्हे भी लेखक की सुविधा का प्रावधान है। प्रतिभागी के पास स्वयं का लेखक/वाचक/प्रयोगशाला सहायक रखने अथवा निवेदन करने का अधिकार है या परीक्षा केन्द्राध्यक्षों द्वारा लेखक/वाचक/प्रयोगशाला सहायक की व्यवस्था दी जा सकती है।
- लेखक की योग्यता विभिन्न परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार रहेगी – लेखक से उनकी शैक्षणिक अर्हता का घोषणा पत्र ले लिया जावे। अधिक शैक्षणिक योग्यता का छात्र लेखक के रूप में न दिया जावे । (अ) हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल/ फिजिकल एजूकेशन / डिप्लोमा इन एजूकेशन परीक्षाओं के लिए अधिकतम कक्षा 9वीं में अध्ययनरत । (ब) **दृष्टिहीन** परीक्षार्थियों के लिए छात्र जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है उसमें 01 कक्षा कम अध्ययनरत लेखक दिया जा सकता है । यह लेखक उसी संस्था का भी हो सकता है ,यह सुविधा केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए है, अन्य छात्रों के लिए यह सुविधा नहीं है । अन्य परीक्षार्थियों के लिए परीक्षार्थी जिस संस्था का हो, लेखक उस संस्था से संबंधित एवं वह छात्र का संबंधी न हो ।
- परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रतिभागी को अपने लेखक से मिलकर यह सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाता है, यह लेखक उनके लिए उचित है या नही।
- परीक्षार्थी तथा लेखक के बैठने हेतु केन्द्राध्यक्ष अलग व्यवस्था करें ताकि अन्य परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो । दो अलग पर्यवेक्षकों की व्यवस्था करेंगे। पर्यवेक्षक यह भी देखेंगे कि लेखक वही लिख रहा है जो परीक्षार्थी बोलता है। इस आशय का प्रमाण–पत्र भी पर्यवेक्षक केन्द्राध्यक्ष को देगें ।

क्रमशः.........2

- केवल हाईस्कूल परीक्षा में दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए गणित विषय का प्रश्न–पत्र मा.शि.मं. द्वारा पृथक से तैयार किया जाता है।
- यदि छात्र लेखक की सुविधा नहीं चाहता है तो उसके अनुरोध पर उसे पाठक की सुविधा प्रश्नपत्र को पढ़ने के लिये केन्द्राध्यक्ष की अनुमति से दी जा सकती है।
- दृष्टिबाधित एवं मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्धारित समय से 01:30 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाए ।
- दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए नक्शे/ग्रॉफ/चित्र समावेश वाले विषयों में प्रश्नों के विकल्प में सैद्धांतिक प्रश्न दिये जाने का प्रावधान है।
- दृष्टि बाधित, मूक, बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को 01 भाषा की छूट प्रदान की गई है अर्थात ये विद्यार्थी 03 भाषा के स्थान पर 02 भाषा (हाईस्कूल में) अथवा 02 भाषा के स्थान पर 01 भाषा (हायर सेकण्डरी) ले सकते है।
- मूक/बधिर/दृष्टि बाधित छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर आवश्यकतानुसार संगीत अथवा चित्रकला ले सकते हैं।
- दृष्टि बाधित छात्र की प्रायोगिक परीक्षा मौखिक रूप से आयोजित की जाती है।
- दृष्टिहीन परीक्षार्थी के लिए उपयुक्त लेखक को छोड़कर अन्य लेखक (ऐसे परीक्षार्थी जो हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो) को 30/–रूपये प्रति प्रश्नपत्र पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षार्थी को ही करना होगा। दृष्टिहीन छात्र को दिये जाने वाले लेखक के पारिश्रमिक का भुगतान केन्द्र पर ही केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जावे ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें ।

(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)
सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

Pradeep Sahu 34

पृ.क्रं/ 3019 /दिव्यांग परी.सु. /विद्यो./2022 रायपुर, दिनांक 11 .02.2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निज सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर,
3. सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई–दिल्ली
4. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निज सचिव/सहायक छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर,
5. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर,
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ ।
7. सहायक सचिव, समन्वय– परीक्षा संचालन 2022 की केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्षों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पुस्तिका में शामिल किये जाने हेतु।
8. समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापकगण छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
9. समस्त कक्ष अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
10. समस्त संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.बिलासपुर,अंबिकापुर,जगदलपुर,राजनांदगांव,
11. प्रोग्रामर ,डाटा कक्ष छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर की ओर मण्डल की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11/2/22

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

Pradeep Sahu 35